

31.7.19

पञ्जावली केस इंडी अपीलान्त आम उपस्थित ।
 राज्य लोक सूचना अधिकांश एवं उप खण्ड अधिकांश
 अपीलान्तान्त १६ दिवसीय कार्य आर / ADM-appeal
 2/19/2155 दिनांक 26.7.19 प्राप्त । शामिल मिलल है ।
 अपीलान्त को सुन गण । अपीलान्त का प्रश्न है कि
 कौनसे धारा प्रकृत का दिनांक 8-5-2019 के अंतर्गत
 सूचना के अधिकांश अधिकांश के तहत सूचना चाही
 गई थी, जो उसे आज तक नहीं मिली । इसी सम्बन्ध
 में इससे कारण पूछे हैं कि प्रकृत की गई थी, जिससे
 निर्णय की अपीलान्त के जानकारी नहीं है । अपीलान्त-
 प्रकृत के राज्य लोक सूचना अधिकांश का प्रकृत दिनांक
 15.5.19 प्राप्त दिनांक तक नहीं मिलल है और प्रकृत
 अपीलान्त के राज्य लोक सूचना अधिकांश धारा प्रकृत
 दिनांक आर / ADM-8 अपीलान्त-01/19/1529 दिनांक 19-6-19
 में तथ्यों के बारे में है ।

590 दिनांक
 पापदाप
 2155
 26-7-19

सिंहसंग प्रसाद
 31/7/2019

इसमें अपीलान्त द्वारा दिये गये कारण पर
 गौर किया व पञ्जावली का अपलोड किया । राज्य
 लोक सूचना अधिकांश के अन्तर्गत दिनांक 19-6-19
 में अपीलान्त प्रकृत का प्रकृत क्रमांक 1246 दिनांक 15-5-2019
 अंतर्गत डाक भेजा जाना चाहिए कि प्रकृत है, जिसके साथ
 में डाक टिकट पुलिस की फोटो प्रकृत प्रस्तुत की है, जिस
 पर सादेह किये जाने का कोई आधार नहीं है । प्रकृत अपीलान्त
 प्रकृत धारा प्रकृत-का दिनांक 8.5.2019 कारण को विवृत
 सूचना चाही गई है, जिसके सम्बन्ध में स्वयं से आवा
 दिनांक 10-7-2019 द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकांश
 को, अपीलान्त-प्रकृत धारा चाही गई सतदापित प्रतिक्रियाएं
 निष्काशना देने के व अपीलान्त-प्रकृत के को विवृत
 सतदापित-प्रतिक्रियाएं निष्काशना प्राप्त करने की
 आशा की जा चुकी है, आवा दिनांक 10-7-2019 की
 प्रकृत प्रति अपीलान्त-प्रकृत को दी जा चुकी है ।
 अतः अब सूचना के अधिकांश अधिकांश के
 अन्तर्गत सूचना पर अब कोई कार्रवाई प्रकृत नहीं
 रहती है । अतः प्रकृत को प्रकृत आता है ।
 निर्णय सुनाया गया ।

प्रकृत
 2350-51
 01-07-2019

डी.एस.एस. (विशेष)
 प्रकृत